राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

<u>आदेश</u>

एकलपीठ सिविल विविध अपील नम्बर 1456/2018

13.07.2018

माननीय न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा

श्री एल एल गुप्ता,अधिवक्ता अपीलार्थी

श्रीमती अनीता अग्रवाल, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

यह प्रकरण प्रार्थना पत्र संख्या 18415/2018 पर न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व हुआ है, जिसके द्वारा इजराय न्यायालय द्वारा इजराय की कार्यवाही कर दिनांक 17.01.2018 के आदेश के अनुसरण में राशि वसूल कर डिक्रीदार होल्डर को राशि का वितरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उन्होंने तीन आवेदन पेश कर इस न्यायालय के समक्ष निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश में 48,000/- प्रति बीघा के स्थान पर 70,000/- प्रति बीघा की दर से क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का आदेश पारित किया है जबकि उन्हीं अधिकारी ने एवं कुछ पूर्व अधिकारियों ने उसी स्थान के संबंध में 48,000/- प्रति बीघा की दर को स्थिर रखते हुए रेफरेन्स को तय किया है। अत: उनकी ओर से प्रस्तुत तीनों आवेदन का निस्तारण करने से पूर्व भुगतान नहीं किया जावे। उनका कथन है कि राशि स्थाई खाते में जमा है, जिसका ब्याज अपीलार्थी प्राप्त करने के अधिकारी है, यदि उनको सफलता मिलती है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवकता तीनों आवेदन का जवाब पेश करने के लिए समय चाहते है।

प्रकरण दो सप्ताह बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा**)**
न्यायाधिपति

<u>बीएलजैन/ **18**</u>